

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001

Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994 (Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... नि०/रो०/ऋण/3-25/18

पटना दिनांक:

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत स्वीकृत्यादेश संख्या-669 दिनांक - 20.04.2020 क्रमांक-03 पर अंकित मो० इरफान, पिता-मो० मुस्ताक, ग्राम-महुआ मुकन्दपुर (नीधर शाही मस्जिद), वार्ड संख्या-10, पो० + प्रखण्ड + थाना - महुआ, जिला- वैशाली -844122 को रेडिमेड कपड़ा दुकान ट्रेड के लिए ₹ 2,00,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। आवेदक ने ₹ 2,030/- डीडी की राशि जमा नहीं करने पर उनके खाते में RTGS नहीं किया गया था। अतएव पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	चयन सूची क्रमांक	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	10/395	MD IRFAN, S/o- MD MUSHTAQUE, Vill.- MAHUA MUKUNDPUR, Block +PS+PO-MAHUA, Distt.-VAISHALI-844122, Mob:- 7838807748	A/c No.:- 50467452319, ALLA0213072	READY MADE CLOTH SHOP	200000	1000 + 2030 = 3030	196970
TOTAL					2,00,000	3,030	1,96,970

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा व्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।


ज्ञापांक:---1072

प्रतिलिपि:- सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस/ई-मेल भेजने हेतु सूची प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 23-6-2020


प्रबंध निदेशक